The Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi, (Salaries and Allowances) Amendment Act, 1995

Act 4 of 1996

Keyword(s):
Salary, Sumptuary Allowance

Amendments appended: 7 of 1998, 4 of 2003, 3 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

No. F.13(3)|96-L.A.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the President of India on 7th March, 1996 and is hereby published for general information.

THE SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES & ALLOWANCES) (AMENDMENT) ACT, 1995

(DELHI ACT NO. 3 OF 1996)

Dated 14th March, 1996

AN

ACT

Further to amend 'The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) Act, 1994'.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty Sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short Title and Commencement.—(1) This Act may be called 'The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) (Amendment) Act, 1995'.

(2) It shall come into force on such date as the Lt. Governor may, by notification in the official Gazette appoint.

2. Omission of Section 6.—In the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 7 of 1995), section 6 shall be omitted.

सं. एफ. 13(4)/96-एल.ए. :—राष्ट्रपति का दिनांक 7 मार्च, 1996 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते (संशोधन) अधिनियम 1995.

दिल्ली अधिनियम संख्या 4, 1996

(दिल्ली राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित)

अधिनियम

यह भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में दिल्ली विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ :—(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहलाएगा।

(2) यह उपराज्यपाल द्वारा सरकारी राजपत्र में जारी करने की तिथि से प्रवृत्त (लागू) होगा।

2. धारा 4 का संशोधन :—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995.....का दिल्ली अधिनियम) (यहां बाद में मुख्य अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 की उपधारा (3) को हटाया जाएगा।

3. धारा 6 का संशोधन :—मुख्य अधिनियम में धारा 6 में उप धारा (1) में, खण्ड (ग) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे : अर्थात् :—

"(ग)" सरकारी लागत पर प्रतिमाह अधिकतम 200 लिटर कार के लिए पेट्रोल।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार अनुचित और पर्याप्त कारणों से आवश्यक शर्तों के अधीन किसी भी मामले में इस खण्ड के उपबन्धों में छूट प्रदान कर सकती है।

No. F.13(4)|96-L.A.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the President of India on 7th March, 1996 and is hereby published for general information.

THE MINISTERS OF THE GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) Act 1995.

(Delhi Act No. 4 of 1996)

(Dated, the 14th March, 1996

AN

ACT,

Further to amend 'The Ministers of the Government of the National, Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) Act, 1994'.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty Sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short Title and Commencement.—(1) This Act may be called 'The Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) (Amendment) Act, 1995'.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 3.—In 'The Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995)' (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 3, sub-section (3) shall be omitted.

2. धारा 6 का संशोधन—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) (अधिनियम, 1994) (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्न लिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) सरकारी खर्च पर कार के लिये पेट्रोल अधिकतम सात सौ लीटर प्रति मास।"

आर. के. प्रभाकर,

अवर सचिव (विधि एवं न्याय)

LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPT.

NOTIFICATION

Delhi, the 25th June, 1998

No. F. 14/4/98-LAD/257.—The following Act of the Legislative Assembly received the assent of the President on 12-6-1998 and is hereby published for general information.

The Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 1998-Assent.

(Delhi Act No. 7 of 1998)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 30th March, 1998).

AN

ACT

Further to amend "The Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995).

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-ninth year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and Commencement.—(1) This Act may be called the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 6.—In the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995) in section 6, in sub-section (1), for clause (c), the following shall be substituted, namely :—

"(C) the petrol for the car upto a maximum of seven hundred litres per mensem at Government cost."

R. K. PARBHAKAR, Under Secy. (L&J)

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जून, 1998

सं. फा. 1/1(2)/92-श्र.न्या./स्था./330.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 मार्च, 1961 की अधिसूचना संख्या 2/2/61-न्याय-2 के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल [illegible] मित्तल, सदस्य, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा [illegible] श्री आर. के. जैन के स्थान पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिये गठित श्रम न्यायालय संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 1/1/2/92-श्र.न्या./स्था. (2)—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 मार्च, 1961 के साथ पठित औद्योगिक अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल श्री जी.पी. मित्तल के श्रमायुक्त न्यायालय को किसी कामगार को उनके नियोक्ता से मिलने वाले लाभ या राशि जिसकी राशि [illegible] गणना हो सके या धन जिसकी गणना की जाये को निर्धारित करने के लिये विनिर्दिष्ट करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

चमन लाल, सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

Delhi, the 25th June, 1998

NOTIFICATION

No. F. 1|1(2)|92-LC|Estt.|330.—In exercise of the powers conferred section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. XIV of 1947) read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 2|2|61-Jdl. II dated the 24th March, 1961, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri G. P. Mittal, a member of the Delhi Higher Judicial Service, as the Presiding Officer of Labour Court No. 3, Delhi, constituted for the National Capital Territory of Delhi, vice Shri R. K. Jain.

No. F-1|1(2)|92-LC|Estt. (ii).—In pursuance of the provisions of Sub-section (2) of section 33-C, of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947) read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 2|261-Judl. II dated the 24th March, 1961, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to specify the Labour court No. 3 consisting of Sh. G. P. Mittal for determining the amount at which any benefit or money that any workman may be entitled to receive from his employer and which is capable of being computed in terms of money, may be computed

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

CHAMAN LAL, Secy. (Labour)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 9 जून, 2003

सं. फा. 14 (12) वि. कार्य—2000/03/978.—राष्ट्रपति, भारत सरकार की दिनांक 18 मई, 2003 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के मंत्री (वेतन और भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम संख्या 4 वर्ष, 2003)"

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 3 अप्रैल, 2003 को यथा पारित)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के मंत्री (वेतन और भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) का फिर से संशोधन के लिए एक अधिनियम।

यह भारतीय गणतंत्र के चौवनवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में उपराज्यपाल द्वारा अधिसूचना से यथानियत तिथि से प्रभावी होगा।

2. धारा 9 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन.—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन और भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

9. टेलीफोन सुविधाएं.—प्रत्येक मंत्री को उपराज्यपाल द्वारा समय-समय पर यथानिश्चित कार्यालय और आवास पर लगाए गए टेलीफोनों की सुविधा काल की अधिकतम सीमा के साथ प्रदान की जाएगी।

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के मंत्री (वेतन और भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम संख्या 4 वर्ष, 2003)" की धारा 1 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 9-6-2003 से इस अधिनियम को लागू करने की नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं।

LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 9th June, 2003

No. F. 14(12)/LA-2000/03/978.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 18-5-2003 and is hereby published for general information.

"The Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2003 (Delhi Act No. 4 of 2003)"

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 3rd April, 2003).

An Act to further amend the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act No. 8 of 1995).

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come into force on such date as the Lt. Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Substitution of new section for Section 9.**—In the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995), for Section 9, the following shall be substituted namely :—

"9 **Telephone Facilities.**—Each Minister shall be provided with such number of telephones, with such ceilings on

alls made from the telephones installed at the office and the residence of the Ministers as may be determined by the Lieutenant Governor from time to time."

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of "The Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Amendment Act, 2003 (Delhi Act No. 4 of 2003)", the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 9th June, 2003 as the date on which the aforesaid Act shall come into force.

सं. फा. 14(11) वि. कार्य—97/03/994.—राष्ट्रपति, भारत सरकार की दिनांक 22 मई, 2003 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के मुख्य सचेतक के वेतन और भत्ते अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2003)"

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 24 मार्च, 2003 को यथा पारित)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के मुख्य सचेतक के वेतन और भत्ते अधिनियम, 2003 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा में बहुमत दल के मुख्य सचेतक के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करने के लिए एक अधिनियम

यह भारतीय गणतंत्र के चौवनवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा में मुख्य सचेतक के वेतन और भत्ते अधिनियम, 2003 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से उपराज्यपाल द्वारा यथा नियम तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं.—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अधिनियम में—

(क) 'मुख्य सचेतक' व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा के संदर्भ में अर्थ है कि विधान सभा का सदस्य जो तत्समय बहुमत वाले दल द्वारा उस सदन में सरकार चलाने वाले दल द्वारा मुख्य सचेतक घोषित किया गया है, और विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उसे इस प्रकार मान्यता दी गयी हो।

(ख) 'अध्यक्ष' का अर्थ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा के अध्यक्ष से है।

3. मुख्य सचेतक के वेतन और भत्ते.—(1) मुख्य सचेतक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम संख्या 8) के मंत्रियों के अन्तर्गत किसी मंत्री को मिलने वाले वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, दैनिक भत्ते की दरों के समान दरों पर ये पाने के हकदार होगा।

(2) मुख्य सचेतक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम संख्या 8) के मंत्रियों के अन्तर्गत किसी मंत्री को मिलने वाले सरकार भत्ते की दरों के समान सरकार भत्ते पाने के हकदार होगा।

(3) मुख्य सचेतक को दिल्ली के बाहर भ्रमण करने के लिए ऐसे सवारी भत्ते, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा तथा ... या क्षतिपूर्ति भत्ते संबंधी ऐसी सुविधाएं पाने का हकदार होंगे और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम संख्या 8) के मंत्रियों के अन्तर्गत किसी मंत्री को उपलब्ध मोटर कार की ऐसी सुविधाएं पाने का हकदार होगा।

उपलब्ध है कि मुख्य सचेतक किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते का हकदार नहीं होगा यदि यात्रा निशुल्क सरकारी वाहन से की गई है।

4. मुख्य सचेतक को चिकित्सा सुविधाएं.—मुख्य सचेतक और उसके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली सरकार अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम संख्या 8) के अन्तर्गत मंत्रियों को प्राप्त शर्तों के समान ही चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे।

5. मुख्य सचेतक को टेलीफोन सुविधाएं.—मुख्य सचेतक वही टेलीफोन सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार मंत्री अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम संख्या 8) के अन्तर्गत किसी मंत्री को प्राप्त है।

6. मुख्य सचेतक विधान सभा के सदस्य के समान वेतन या भत्ते नहीं लेगा.—मुख्य सचेतक विधान सभा के सदस्यों के समान वेतन भत्ते के रूप में किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा केवल वही राशि प्राप्त करेगा जो इस अधिनियम द्वारा विशेष रूप से उपबंधित की गई हो।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244252
SG-DL-E-10032023-244252

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/फाल्गुन 19, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 513
No. 73]	DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/PHALGUNA 19, 1944	[N. C. T. D. No. 513

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2023

स. फा 14(69)/एलए–२०२०/dsadvice/103-111.—भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2023 को मिली सहमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, २०२३

(२०२३ का दिल्ली अधिनियम ०३)

4 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[9th March, 2023]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 का पुनः संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1 **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह उप–राज्यपाल द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

2 **धारा 3 का संशोधन** :–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) (इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में –

(क) उपधारा (1) में ''बीस हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''साठ हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में ''एक हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार पांच सौ रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में ''अठारह हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''तीस हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) उपधारा (4) में ''पचास हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा; अर्थात–

''(5) प्रत्येक कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप प्रत्येक मंत्री को लैपटॉप, व्यक्तिगत कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल हैंडसेट इत्यादि की खरीद हेतु एकबारगी भत्ते के रूप में कुल एक लाख रुपये भुगतान किया जाएगा।

(6) प्रत्येक मंत्री को सचिवीय सहायता के रूप में प्रति माह कुल पच्चीस हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।''

3. **धारा 4 का संशोधन** :–मूल अधिनियम की धारा 4 में ''चार हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

4. **धारा 6 का संशोधन** :–

(i) उपधारा (4) में ''दो हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपधारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा; अर्थात–

''(5) एक मंत्री सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के भीतर एक वाहन की खरीद हेतु बारह लाख रुपये तक का प्रतिदेय अग्रिम वाहन राशि लेने के लिए पात्र होगा।

(6) उपधारा 5 में संदर्भित अग्रिम हेतु ब्याज दर तथा उसकी वसूली का तरीका राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।''

भरत पाराशर, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2023

F. 14(69)/LA-2020/dsadvice/103-111—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 14th February, 2023 and is hereby published for general information:-

"THE MINISTERS OF THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) ACT, 2023"

(DELHI ACT NO. 03 OF 2023)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th July, 2022).

[9th March, 2023]

An Act further to amend the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement. - (1) This Act may be called the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2**. Amendment of section 3**. – In the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994, (Delhi Act 8 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3,-

(a) in sub-section (1), for the words "*twenty thousand rupees*", the words "*sixty thousand rupees*" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "*one thousand rupees*", the words "*one thousand five hundred rupees*" shall be substituted;

(c) in sub-section (3), for the words "*eighteen thousand rupees*", the words "*thirty thousand rupees*" shall be substituted;

(d) in sub-section (4), for the words "*fifty thousand rupees*", the words "*one lakh rupees*" shall be substituted;

(e) after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely; -

"(5) There shall be paid to each Minister a sum of rupees one lakh as one time allowance for purchase of laptop, personal computer, printer, mobile handset etc. for each term of office as a Member.

(6) There shall be paid to each Minister a sum of rupees twenty five thousand per month as secretarial assistance."

3. **Amendment of section 4.** –In the principal Act, in section 4, for the words "*four thousand rupees*" the words "*ten thousand rupees*" shall be substituted.

4. **Amendment of section 6.-**

(i) In sub-section (4), for the words "rupees *two thousand rupees*", the words "rupees ten thousand" shall be substituted

(ii) After sub-section (4) the following sub-sections shall be inserted. –

"(5) A Minister shall be entitled to a conveyance advance up to twelve lakh rupees for purchase of conveyance to be repayable within his term as a Member.

(6) The rate of interest for the advance referred to in sub-section (5) and the mode of recovery thereon shall be such as may be determined by the Government, with the prior approval of the President."

BHARAT PARASHAR, Principal Secy. (Law, Justice & Legislative Affairs)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11032023-244271
SG-DL-E-11032023-244271

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/फाल्गुन 19, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 518
No. 78]	DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/PHALGUNA 19, 1944	[N. C. T. D. No. 518

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2023

सं. फा 14(69)/एलए–२०२०/dsadvice/149-157.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, २०२३ (२०२३ का दिल्ली अधिनियम ०३) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, 14 फरवरी, 2023 उक्त अधिनियम को प्रवृत होने की तिथि निश्चित करते हैं ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

भरत पाराशर, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2023

No. F. 14(69)/LA-2020/dsadvice/149-157.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 1 of the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2023 (Act No. 3 of 2023), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, appoints 14th February, 2023 as the date on which the aforesaid Act shall come into force.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.